न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–27/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/27)

1. रूकमा पुत्री मांगू उर्फ मांगीलाल पत्नि उमरावसिंह जाति यादव निवासी ग्राम देवलियाकलां हाल निवासी ग्राम रामपुरा अहीरान, तहसील नसीराबाद व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पारसी पत्नि महावीर जाति यादव निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय
2. राधा पुत्री गोरधन पत्नि दयाल जाति यादव निवासी देवलियाकलां हाल निवासी ग्राम मंडियानी तहसील भिनाय जिला अजमेर।
3. गीतादेवी पत्नि रामलाल जाति यादव निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
4. नीलम पत्नि नितेशकुमार जाति यादव निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
5. नंदकिशोर सोनी पुत्र जयनारायण सोनी जाति सोनी निवासी खिडकी गेट केकडी।
6. अंकित सोनी पुत्र जयनारायण जाति सोनी निवासी खिडकी गेट केकडी।
7. राजू पुत्र रामदेव जाति माली निवासी भिनाय तहसील भिनाय
8. भागचंद पुत्र घीसालाल माली जाति माली निवासी भिनाय तहसील भिनाय
9. मुकेश पुत्र सूरजकरण जाति आचार्य निवासी ग्राम आचार्य निवासी भिनाय
10. दिलीपकुमार आचार्य पुत्र किशनगोपाल जाति आचार्य निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर।
11. रामलाल पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल जाति यादव निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
12. गोपाल पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल जाति यादव निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
13. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा कोठियान राजस्थान।
14. उप–पंजीयक अधिकारी, देवलियाकलां, उपतहसील देवलियाकलां जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, कार्यालय भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय विरूद्ध निर्णय दिनांक 7.12.2022 राजस्व वाद संख्या 106/2022.

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड, श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 व 11 से 13 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 21.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 106/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थीया ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने की धमकी दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान, रहन, गिरवी इत्यादि रखते है तो या करते है तो अनावश्यक ही प्रार्थना की बाहुल्यता बढावा देगा एंव प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा जिस कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अति आवश्यक है एवं प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है व अगर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि में से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूतर्नीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन धन में संभव नहीं है एवं प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनाकरण दिनांक 10.11.2022 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उक्त भूमि पर से जबरन व बलपूर्वक बेदखल करने व प्रार्थी की भूमि को बेचान करने की धमकी दी प्रार्थना कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध निरंतर व नियमित रूप से उत्पन्न हो रहा है एवं अप्रार्थी संख्या 13 बैंक से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के हिस्सा पर रहन दर्ज होने से एवं अप्रार्थी सख्या 14 उपपंजीयक अधिकारी को कोई भी दस्तावेज तस्दीक नहीं करने बाबत पक्षकार बनाया गया है जो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करेगा एवं अप्रार्थी संख्या 15 राज्य सरकार उक्त भूमि का भू स्वामी होने से आवश्यक पक्षकार है व चूंकि उपरोक्त प्रार्थना आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राज सरकार को धारा 80 सीपीसी को नोटिस दिया जाकर 2 माह का इंतजार किया जाना प्रार्थीगण के हितों को प्रतिकुल प्रभावित करेगा व प्रार्थना की स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा। जिस कारण प्रार्थना में धारा 80 सीपीसी के नोटिस की कार्यवाही को माफ किया जाना न्यायोचित है। जिस हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 80 सीपीसी की कार्यवाही को माफ करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है के प्रार्थना पत्र को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर 106/2022 दर्ज किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 28.11.2022 को दावाकृत भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया जिस पर दिनांक 29.11.2022 को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई की जाकर दिनांक 7.12.2022 को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज किया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 106/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 व 11 से 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2022 को प्रकरण में अपीलार्थी के पिता मांगू उर्फ मांगीलाल पुत्र सोनारायण कौम अहरी के नाम संवत 2015 से 2018 खातेदारी कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा पुराने चौसाला खसरा नम्बर 3132 रकबा 42 बीघा का मांगू पुत्र सोनारायण व गोरधनलाल के मध्य 42 बीघा भूमि का बंटवारा करते हुए चौसाला खसरा नम्बर 3132 रकबा 29–13–00 अपीलार्थीया के पिता मांगू पुत्र सोनारायण के नाम एवं 3132 मिन रकबा 18–8–0 गोरधनलाल के नाम अंकन की गई की कृषि भूमि को वर्किंग जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण रूप से वर्किंग खसरा नम्बर 3602 रकबा 29–13–00 को मांगू के बजाय गोरधनलाल के नाम गलत अंकन कर दिया गया को पुनः दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड में करने के लिए खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि नहीं मानते हुए अकृषि भूमि के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2022 के जो अकृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आवासीय अंकन होने के आधार पर निर्णय पारित किया गया जो आवासीय अंकन कराने से पूर्व भूमि अपीलांट के पिता मांगू पुत्र सोनारायण की खातेदारी कृषि भूमि थी तथा अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पोडेंटगण को भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया गया तथा दावाकृत भूमि का इंद्राज दुरूस्त खातेदारी का वाद की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहित है क्योंकि सिविल न्यायालय द्वारा प्रविष्ठि दुरूस्त करने एवं खातेदारी दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर गलत रूप से मात्र किस्म परिवर्तन का आधार मानते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया इस संबंध में 2019 आर0बी0जे0(एस0सी0) पेज 231 के न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि "**जब अपीलांट का वाद खातेदारी के अधिकारों बाबत राजस्व न्यायालय में लंबित है जिसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को ही है। जब तक खातेदारी का वाद राजस्व न्यायालय द्वारा डिक्री नहीं कर दिया जाता है तब तक अपीलांट दीवानी न्यायालय में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता।**" अपीलांट द्वारा अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी भूमि को गतल रूप से राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए षडयंत्र पूर्वक वादग्रस्त आराजीयात को अजनबी केताओं को गलत रूप से बेचान कर दिया गया तथा अजनबी क्रेतागणों ने गलत रूप से संपरिर्वन के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा बिना मौके एवं रिकार्ड की वास्तविक जांच किये कार्यालय में ही रिपोर्ट तैयार कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अविधिक रूप से संपरिवर्तन आदेश पारित किया है अपीलांट को उक्त अविधिक संपरिवर्तन आदेशों की जानकारी होते ही उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपीले प्रस्तुत कर दी है जो आज दिनांक तक विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

को आधार मानकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त कर प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर विरोधाभासी आदेश पारित किया गया है जिसकी आड में वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए गए स्टे आदेश दिनांक 7.12.2022 की आड में अपीलार्थी के पिता मांगू की खातेदारी भूमि में बेचान पर बेचान करते हुए दलाली के रूप में प्लाट काटने का कार्य किया जा रहा है तथा अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि को हडपने के लिए आमादा एवं अग्रसर है जो नुकसान अपीलांट को होगा उसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में निहित है तथा बेचान, रहन, हस्तांतरण करने की धमकी दे रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र दावे की मेरिट जैसा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जैसा कि 1996 (3) आर0बी0जे0 पेज 406 एवं 2016 (3) आर0बी0जे0 पेज 468 में माननीय न्यायालयों द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किंया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का निस्तारण दावे की मेरिट के अनुसार नही किया जा सकता। अपीलांट व रेस्पो0 विवादित आराजीयात बाबत आपस में हक–अधिकार को लेकर विवाद है ओर वाद विचाराधीन है जिसमें दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य एवं सबूत लिये जाकर विवादित आराजी बाबत अधिकारों व अन्य विधिक बिन्दुओ का निस्तारण शेष है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीय का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित है तथा अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एंव सुरक्षित रखा जाना चाहिए था जैसा की आर0बी0जे0 (23) पेज संख्या 142 पर प्रतिपादित किया गया है। इसलिए उक्त विवादित आदेश को अपील के माध्यम से निरस्त किया जावे। अतः श्रीमान से प्रार्थना हे कि अपील अपीलार्थी मय खर्चे स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 7.12.2022 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश पारित करे एवं दावाकृत भूमि हाल पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नम्बर जो ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय में स्थित है के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात से बेदखल नहीं करने एवं वादग्रस्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नही करने एवं अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करने के आदेश पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे तथा उपखण्ड अधिकारी,भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 106/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 द्वारा स्वयं के नाम दर्ज खातेदरी आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से पूर्णतया विधिपूर्वक जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज के खरीद की हे। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 खरीद दिवस से ही उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमियां वर्तमान में संपरिवर्तन होकर गै0मु0 आवासीय दर्ज हैं जिसकी समस्त प्रक्रिया हम अप्रार्थीगण संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगायत 10 द्वारा विधिसम्मत पूर्ण कराई गई है। प्रार्थीया द्वारा स्वयं अंकित कथन कर स्वीकार किया है कि उपरोक्त भूमियां अप्रार्थीगण ने खरीद की है एवं विधिसम्मत पूर्ण कराई गई है। प्रार्थीया द्वारा स्वयं अंकित कथन कर स्वीकार किया है कि उपरोक्त भूमियां अप्रार्थीगण ने खरीद की है एवं विधिसम्मत भूमियों का विभाजन भी करवा लिया है जिससे प्रार्थी का उक्त भूमियों में कब्जा नहीं होना स्वतः ही सिद्ध है साथ ही वादग्रस्त भूमियों की किस्म सिविल प्रकृति की है जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र पूर्णतया असत्य एवं झूठे तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजीयात खरीद कर विधिवत संपरिवर्तन कराकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग गत 2 माह से किया जा रहा है, इसकी सत्यता हेतु संबंधित पटवार हल्का अथवा भू0अभिलेख निरीक्षक से न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब की जा सकती है। पैरा में अंकित दिनांक को भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात पर कार्य करना हास्याप्रद है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथन से अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 10 के नाम दर्ज भूमियों पर किसी प्रकार का कोई ऋण अंकन नहीं है एवं न ही कृषि उपयोग की भूमि है जिस पर किसी प्रकार का किसान केडिट ऋण प्राप्त किया जा सके। प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 10 के विरूद्ध जारी अतरिम निषेधाज्ञा पूर्णतया कानूनन विरूद्ध है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथन श्रीमान के समक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पक्ष का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुविधा का संतुलन किस ओर प्रतीत होता है एवं किस पक्ष का अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा लिखित कथन एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अमान्य है, जो खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजीयात खरीद कर विधिवत संपरिवर्तन कराकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग गत 2 माह से किया जा रहा है इसकी सत्यता हेतु संबंधित पटवार हल्का अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब की जा सकती है। पैरा में अंकित दिनांक को भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात पर कार्य करना हास्याप्रद है। प्रार्थीया द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थीया ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में दिनांक 28.11.2022 को दावाकृत भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पारित किया गया जिस पर दिनांक 29.11.2022 को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई की जाकर दिनांक 7.12.2022 को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तो हमने पाया कि वादग्रस्त आरजीयात पूर्व राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता के नाम दर्ज रही है जिसका अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी बाबत बंटवारे के आदेश पारित हो चुके थे उक्त बंटवारें आदेश की पालना में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम नामान्तकरण दर्ज हो चुके थे ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का पुश्तैनी हिस्सा साबित प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है वादग्रस्त आराजी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान स्पोडेन्टस व उनके पूर्वजों के नाम गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया तथा इस बाबत अपीलांट द्वारा घोषणा का एक वाद विचारण न्यायालय में मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश किया जो विचाराधीन है। विचारण न्यायालय में करेक्शन ऑफ एन्ट्री मय उद्घोषणा का प्रकरण विचाराधीन है तहसीलदार, भिनाय उक्त वाद–पत्र में पक्षकार होते हुए भी उनके द्वारा भू–रूपांतरण करने से आराजी की किस्म गै0मु0 आवासीय हो गई है, रेस्पोडेंटस के अनुसार श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण उद्घोषणा का है और भू–रूपांतरण आदेशों को सक्षम न्यायालय में आक्षेपित कर दिया गया है ऐसे में उद्घोषणा तो राजस्व न्यायालय को ही करनी है। भू–प्रबंध के दौरान की गई गलत प्रविष्टि के बाद की समस्त प्रक्रियाएं प्रभाव शून्य मानी जाती है ओर भू–प्रबंध द्वारा की गई प्रविष्टि को चुनौती दी हुई है। चूंकि प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को देखा जाना है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दावे की मेरिट को छूने जैसा अविधिक आदेश पारित किया है जबकि मूल वाद विचाराधीन है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत हक–अधिकार एवं अन्य कानूनी बिन्दुओं का अंतिम निस्तारण दावे के निर्णय उपरांत किया जायेगा तथा माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है खातेदारी के अधिकारों बाबत राजस्व वाद लंबित है, जिसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को ही है तथा मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से हम सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से उक्त आदेश दिनांक 7.12.2022 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 106/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हुए कानूनी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनो बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन कर तीन माह में निस्तारण करें तब वाद–पत्र एवं प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय, मुंतकिल नही करने एवं वादग्रस्त आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु व अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जावेगा। पत्रावली फैराल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर